2025/532

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

बनवारीलाल बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण

मु.नं. 249 वर्ष 2025

किस्म मुकदमा 136 LR

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
30.07.25	प्रार्थीगण बनवारी लाल पुत्र घीसा राम व भोमा राम पुत्र घीसा राम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम श्यामपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 166 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां बनवारी पुत्र घीसा व भोमा पुत्र घीसा दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थीगण के नाम की सही प्रविष्टियां क्रमशः बनवारी लाल पुत्र घीसा राम व भोमा राम पुत्र घीसा राम है। प्रार्थीगण के नाम से बने दस्तावेजात यथा आधार कार्ड की प्रस्तुत प्रतियों के अनुसार प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्ठियां बनवारी लाल पुत्र घीसा राम व भोमा राम पुत्र घीसा राम अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्ठियां बनवारी पुत्र घीसा व भोमा पुत्र घीसा के स्थान पर उक्त प्रविष्ठियां क्रमशः बनवारी लाल पुत्र घीसा राम व भोमा राम पुत्र घीसा राम दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थीगण के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2025/2281 दिनांक 09.07.2025 के द्वारा दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार सही है। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार सही है। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार दर्ज रजिस्टर प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थीगण का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 166 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां बनवारी पुत्र घीसा व भोमा पुत्र घीसा के स्थान पर उक्त प्रविष्टियां क्रमशः बनवारी लाल पुत्र घीसा राम व भोमा राम पुत्र घीसा राम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2025/2281 दिनांक 09.07.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.05 16:17:47 IST
Reason: SelfAttested